न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल, जिला बारां (राज०)

बइजलास अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :– 18/2020/प्रार्थना पत्र/बउनवान/रूपकंवर बनाम पदमसिंह वगै0
सीएमएस संख्या 2020/00077

रूपकंवर पत्नी हनुमान सिंह जाति राजपूत निवारी कापरेन तहसील केशोरायपाटन जिला बूंदी
..........प्रार्थीया

बनाम

1. पदम सिंह पुत्र स्व0 गोविंद सिंह जाति राव राजपूत निवारी नंदगावड़ी हाल मुकाम कवाई जिला बारां
2. सुल्तान कंवर पुत्री स्व0 गोविंद सिंह जाति राव राजपूत निवारी नंदगावडी हाल मुकाम मुंबई योजना कन्सुआ कोटा
3. हेमकंवर पुत्री स्व0 गोविंद सिंह जाति राव राजपूत निवारी नंदगावडी हाल मुकाम श्योपुर एम.पी.
4. गुड्डी कंवर पुत्री स्व0 गोविंद सिंह जाति राव राजपूत निवासी नंदगावडी हाल मुकाम झरनिया तहसील छिपाबड़ोद जिला बारां
5. रानी कंवर पुत्री स्व0 गोविंद सिंह जाति राव राजपूत निवासी नंदगावडी हाल मुकाम कवाई जिला बारा
6. रमेश कंवर पत्नी स्व0 रघुनंदन सिंह जाति राव राजपूत निवासी नंदगावडी तहसील मांगरोल
7. भगवती कंवर पुत्री स्व0 रघुनंदन सिंह जाति राव राजपूत निवासी नंदगावड़ी तहसील मांगरोल
8. मीनू कंवर पुत्री स्व0 रघुनंदन सिंह जाति राव राजपूत निवासी नंदगावडी हाल मुकाम फरेदुआ तहसील शाहबाद जिला बारां
9. लल्ली कंवर पुत्री रघुनंदन सिंह जाति राव राजपूत निवासी नंदगावडी हाल मुकाम रतनपुरा तहसील खानपुर जिला झालावाड़
10. पूर्णिमा कंवर पुत्री स्व0 रघुनंदन सिंह जाति राव राजपूत निवासी नंदगावडी तहसील मांगरोल
11. हुकुम सिंह पुत्री स्व0 रघुनंदन सिंह जाति राव राजपूत निवासी नंदगावडी तहसील मांगरोल जिला बारा
12. सीता कंवर पत्नी स्व0 लक्ष्मण सिंह जाति राव राजपूत निवासी नंदगावडी तहसील मांगरोल जिला बारां
13. बेबी कंवर पुत्री स्व0 लक्ष्मण सिंह जाति राव राजपूत निवासी नंदगावडी हाल मुकाम रतनपुरा जिला झालावाड़
14. मनीषा कंवर पुत्री स्व0 लक्ष्मण सिंह जाति राव राजपूत निवासी नंदगावडी हाल मुकाम रतनपुरा जिला झालावाड़
15. प्रिंस सिंह पुत्र स्व0 लक्ष्मण सिंह जाति राव राजपूत निवासी नंदगावड़ी तहसील मांगरोल जिला बारां
16. निकिता कंवर पुत्री स्व0 लक्ष्मण सिंह जरिये माता संरक्षक सीताबाई जाति राव राजपूत निवासी नंदगावडी जिला बारां
17. अंकिता कंवर पुत्री स्व0 लक्ष्मण सिंह जरिये माता संरक्षक सीताबाई जाति राव राजपूत निवासी नंदगावडी जिला बारां
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार एवं उपपंजीयक मांगरोल जिला बारां (राज0)

.................अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

Scanned by CamScanner

ोल वादी : श्री विरेन्द्र सिंह

ोल प्रतिवादी : श्री अमित कुमार गौड़ एव श्री मनोज गालव

ग्ररा दिनांक: 07.08.2020 निर्णय दिनांक : 12.02.2025

निर्णय

तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :—

यह कि प्रार्थिया ने उपरोक्त उनवान का वाद पत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर ्या है जिसके प्रार्थिया को सफल होने की पूर्ण आशा है।

1. यह कि वाके ग्राम नंदगावडी तहसील मांगरोल में आराजीयात खसरा न. 129 रकबा 1.26 है0, खसरा न. 130 रकबा 1.23 है0, खसरा न. 131 रकबा 2.45 है0, खसरा न. 132/232 रकबा 1.25 है0, खसरा न. 147 रकबा 2.72 है0, खसरा न. 180 रकबा 0.67 है0, खसरा न. 185 रकबा 0.19 है0, खसरा न. 186 रकबा 0.22 है0, खसरा न. 188 रकबा 0.04 है0, खसरा न. 194 रकबा 0.05 है0, खसरा न. 195 रकबा 0.04 है0, खसरा न. 197 रकबा 0.02 है0, खसरा न. 2 रकबा 1.87 है0, खसरा न. 202 रकबा 0.26 है0, खसरा न. 203 रकबा 0.04 है0, खसरा न. 212 रकबा 0.12 है0, खसरा न. 213 रकबा 1.64 है0, खसरा न. 215 रकबा 1.83 है0, खसरा न. 216 रकबा 5.37 है0, खसरा न. 217 रकबा 0.16 है0, खसरा न. 218 रकबा 3.74 है0, खसरा न. 219 रकबा 1.72 है0, खसरा न. 223 रकबा 0.45 है0, खसरा न. 26 रकबा 0.64 है0, खसरा न. 27 रकबा 2.30 है0, खसरा न. 28 रकबा 0.62 है0, खसरा न. 29 रकबा 1.10 है0, खसरा न. 30 रकबा 3.16 है0, खसरा न. 32 रकबा 1.92 है0, खसरा न. 35 रकबा 2.54 है0, खसरा न. 36 रकबा 0.85 है0, खसरा न. 37 रकबा 1.22 है0, खसरा न. 38 रकबा 3.86 है0, खसरा न. 39 रकबा 2.16 है0, खसरा न. 40 रकबा 0.96 है0, खसरा न. 41 रकबा 0.51 है0, खसरा न. 57 रकबा 0.87 है0, खसरा न. 58 रकबा 1.47 है0, खसरा न. 59 रकबा 1.49 है0, खसरा न. 60 रकबा 2.19 है0, खसरा न. 61 रकबा 1.71 है0, खसरा न. 62 रकबा 1.17 है0, खसरा न. 66 रकबा 1.13 है0, खसरा न. 67 रकबा 1.47 है0, खसरा न. 76 रकबा 0.22 है0, खसरा न. 98/236 रकबा 0.84 है0 कुल किता 46 रकबा 61.74 स्थित है। खातेदारान गोविन्दसिंह एवं अन्यों के उपरोक्त संयुक्त खाते की भूमि 61.74 में से खसरा नं. 38 रकबा 3.86 है0 भूमि जर्ये नामांतरकरण संख्या न्यायालय आदेश दिनांक 06.06.2005 से रघुवीर पुत्र सूरजमल धाकड़ के नाम दर्ज हो चुकी थी तथा आराजी कुल किता 45 रकबा 57.88 रही थी।
2. यह की खातेदार स्व0 गोविंद सिंह निवासी नंदगांवडी तहसील मांगरोल ने अपनी मृत्यु से पहले कुल किता 45 रकबा 57.88 हेक्टर आरजी में से अपने हिस्से 17/48 में 1/7 संपूर्ण खाते में 17/336 का 3/5 वां हिस्सा यानि सम्पूर्ण खाते का 51/1680 वां हिस्सा का रजि0 विकय पत्र 3,75,000/— रूपये के बिन एवज दिनांक 04.06.2008 को प्रार्थिया के पक्ष में उक्त रकम प्राप्त करके उप पंजीयक महोदय मांगरोल के समक्ष निष्पादित करवाकर कब्जा प्रार्थीया को संभला दिया तब से प्रार्थीया काबिज काश्त चली आ रही है।
3. यह कि स्व0 गोविंद सिंह जी की उक्त संपूर्ण आराजी उस समय बैंक के रहन रखी हुई थी इस कारण आराजीयात के विक्रय पत्र का पंजीयन तो हो गया किंतु नियम 39 का नोट अंकित हो गया। नियम 39 का मतलब होता है कि रहन का नोट हटाने के बाद ही आराजीयात का इंतकाल नामांतरण केता के पक्ष में खातेदार की हैसियत से खोला जावे।
4. यह कि प्रार्थीया ने पूर्व में कई बार गोविंद सिंह जी से कहा कि बैंक में धन राशि जमा करवाओ तो उस समय उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से वह जमा नहीं कर पाए बाद में उनकी मृत्यु उपरांत उनके वारिसान से कहा तो वह टालमटोल करते रहे। वर्तमान में उनके वारिसान अप्रार्थी कम 1 ता 17 ने रहन राशि जमा कर दी है तथा आराजीयात रहन मुक्त है।
5. यह कि स्व0 गोविंद सिंह जी के 3 पुत्र रघुनंदन सिंह, लक्ष्मण सिंह, पदम सिंह तथा चार पुत्रियां सुल्तान कंवर, हेम कंवर गुड्डी कंवर, रानी कंवर थे। रघुनंदन सिंह एवं

Scanned by CamScanner

लक्ष्मण सिंह की मृत्यु हो चुकी है। रघुनंदन सिंह के वारिसों में उनकी पत्नी रमेश कंवर अप्रार्थी कम 6, पुत्री भगवती कंवर अप्रार्थीकम 7, पुत्री मीनू कंवर अप्रार्थी कम 8, पुत्री लल्ली कंवर अप्राथी कम 8, पुत्री पूर्णिमा कंवर अप्रार्थी कम 10, पुत्र हुकम कंवर अप्रार्थी कम 11 है। इसी प्रकार लक्ष्मण सिंह के वारिसान सीता कंवर अप्रार्थी कम 6 बेबी कंवर अप्रार्थी कम 7, मनीषा कंवर अप्रार्थी कम 8, प्रिंरा सिंह अप्रार्थी कम 9, निकिता कंवर अप्रार्थी कम 10 , अंकिता कंवर अप्रार्थी कम 11 है।

6. यह कि प्रार्थीया ने रहन का नोट हटाने के बाद अप्रार्थी कम 1 ता 17 को कई बार कहा कि वह तहसीलदार साहब मांगरोल के कार्यालय में चलकर प्राथमिक के पक्ष में उनके द्वारा खरीदशुदा आराजी का इंतकाल खुलवाने में सहयोग करें तथा अपने अनापत्ति दर्ज करावें तो अप्रार्थी कम 1 ता 7 मना करते रहे प्रार्थीया ने दिनांक 28.07.2020 को भी कहा तो तहसील में आने और अनापत्ति दर्ज करवाने से मना कर दिया तथा धमकी भी दी वे बेचानशुदा आरजी को स्व0 गोविंद सिंह जी से प्रार्थीया ने खरीदी है, को पुनः बैंक में रहन बेचान करेंगे अथ्वा किसी भी प्रकार से खुर्द–बुर्द करके रहेंगे यहां तक भी धमकी दी गई कि वापस कब्जा करके रहेंगे। इस कारण प्रार्थीया को दिनांक 28.07.2020 को वाद कारण उत्पन्न हुआ।

7. यह कि प्रार्थीया को उपरोक्त कारण से आवश्यक हो गया है कि वह न्यायालय श्रीमान के समक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करे।

8. यह की प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया केस हैं तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में है यदि अप्रार्थीगण अपने उद्देश्य में कामयाब हो गए तो अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीया को होगी।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी कम 1 ता 17 को अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद पाबन्द फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित प्रार्थीया के हिस्से की आराजीयात में किसी भी बैंक अथवा संस्था के रहन नही करे, न ही किसी भी प्रकार से विक्रय करे, न ही आराजीयात पर कब्जा करने का प्रयास करे तथा अप्रार्थी कम 18 को भी जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वह अप्रार्थीया कम 1 ता 17 द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज का पंजीयन नहीं करें ना ही प्रार्थीया को रजिस्टर विक्रय पत्र में उल्लेखित आराजीयात का पंजीयन नहीं करें ना ही रजिस्टर विक्रय पत्र में उल्लेखित एवं प्रार्थीया को बेचान किये हिस्से पर 6(1) दर्ज करें

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 07.08.2020 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन् तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 2 ता 17 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

1. यह कि प्रार्थना पत्र पत्र की मद नं. 1 अप्रार्थीगण 1 ता 17 के वाके ग्राम नन्दगावडी तहसील मांगरोल के संयुक्त खाते की भूमियां होने से स्वीकार है, शेष मद अस्वीकार है।
2. यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 जिस तरह से लिखी गयी है सम्पूर्ण मद असत्य व मनघडन्त होने से अस्वीकार है। वर्ष 2008 में अपने हिस्से की भूमियों का विक्रय–पत्र गोविन्द सिंह जी द्वारा करना काल्पनिक है गोविन्द सिंह जी वर्ष 2000 से ही लकवाग्रस्त थे चल फिर नहीं सकते थे और सन् 2008 में मानसिक रुप से विक्षिप्त थे, प्रार्थीया ने जालसाजी व कपट से मेमोरी लॉस (स्मृति–विस्मृत) अवस्था में सगी भतीजी होने का फायदा उठाकर, चुपचाप बदनीयती से अप्रार्थीगण 1 ता 17 को पुश्तैनी विरासतन हक/अधिकार से महरूम करने के उददेश्य से करवा कर रख लिया और 12 वर्षो के पश्चात इंतकाल खुलवाने का वाद बदनियत से पेश किया है, शेष विवरण जवाब प्रार्थना–पत्र व विशेष आपत्तियों में दर्ज है।
3. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद नं. 3 सम्पूर्ण मद असत्य व मनघडन्त होने से अस्वीकार है। खातेदार की हैसियत से इंतकाल खोला जाना महज काल्पनिक है। शेष विवरण जवाब प्रार्थना–पत्र व विशेष आपत्तियों में दर्ज है।
4. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद नं. 4 असत्य व मनघडन्त होने से अस्वीकार है। स्वर्गीय गोविन्द सिंह जी वर्ष 2000 से ही बीमार रहते थे और उनकी सम्पूर्ण भूमियों को

Scanned by CamScanner

अप्रार्थीगण व उनके अन्य पुत्र पदमसिंह, लक्ष्मण सिंह जी और अप्रार्थीगण काबिज काश्त थे और सभी वारिसों की सहमति के बिना भी किसी प्रकार का कोई विक्रय नहीं कर सकते थे क्योंकि गोविन्द सिंह जी लकवाग्रस्त थे और अन्य सभी पुत्रों/पोत्रों/पुत्रियों का भी पैतृक सम्पत्ति में जन्मजात हिस्सा था। क्रेता रुपकंवर गोविन्द सिंह जी की सगी भतीजी थी और भली-भांति उक्त तथ्य को जानती थी। शेष विवरण जवाब प्रार्थना-पत्र व विशेष आपत्तियों में दर्ज है।

5. यह कि प्रार्थना-पत्र की मद नं. 5 वारिसान सम्बन्धित होने से स्वीकार है। शेष विवरण जवाब प्रार्थना-पत्र व विशेष आपत्तियों में दर्ज है।

6. यह कि प्रार्थना-पत्र की मद नं. 6 सम्पूर्ण मद असत्य व मनघडन्त होने से अस्वीकार है। अप्रार्थीगण का नामान्तरण जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड में गोविन्द सिंह जी की मृत्यु पश्चात से ही खुल रहा है, सत्यता यह है कि प्रार्थीया ने चोरी चुपके से गोविन्द सिंह जी की बीमार, लकवाग्रस्त, मानसिक अवस्था का फायदा उठाकर कपट से रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र करवाकर बिना उनके ज्ञान, सहमति के करवाकर रख लिया एंव बदनीयती से 12 बरस बाद झूठा वाद पेश किया है। शेष विवरण जवाबदावा व विशेष आपत्तियों में दर्ज है। कोई वाद कारण कभी उत्पन्न नहीं हुआ है।

7. यह कि प्रार्थना-पत्र की मद नं. 7 असत्य व मनघडन्त होने से अस्वीकार है। अप्रार्थीगण 1 ता 17 के जन्मजात हक व हिस्से पर वादनी को किसी प्रकार के हक/अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। शेष विवरण जवाब प्रार्थना-पत्र व विशेष आपत्तियों में दर्ज है

8. यह कि प्रार्थना-पत्र की मद नं. 8 असत्य मनघडन्त व झूठे निराधार तथ्यों पर आधारित है। अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है, प्रार्थिया का विक्रय-पत्र कपट व जालसाजी पर आधारित है अप्रार्थीगण का पैतृक सम्पत्तियों में जन्म से हक अधिकार हे एंव संयुक्त HUF परिवार की सम्पत्ति पर जन्म से ही हक अधिकार निश्चित होते हैं, बिना प्रार्थीगण के ज्ञान / सहमति / जानकारी के प्रार्थीगण के हक व हिस्सों को HUF कर्ता को बेचान करने का कोई अधिकार नहीं है, प्रार्थीया का कोई प्राइमाफैसी केस नहीं है, न ही सुविधा का सन्तुलन है और नहीं किसी प्रकार की अपूरणीय क्षति 16 वर्षो पश्चात है। प्रार्थना-पत्र की प्रार्थना स्वीकार नहीं है।

जवाब प्रार्थना पत्र एवं विशेष आपत्तियाँ :-

1. यह कि अप्रार्थीगण 1 ता 17 स्वर्गीय गोविन्द सिंह पुत्र केशरसिंह कि पुत्र, पुत्रियां, पौत्र, पौत्री, पुत्र-वधु इत्यादि विधिक वारिसान उत्तराधिकारी है जिनका पारिवारिक सजरा (वंशवृक्ष) निम्न प्रकार है। स्व० गोविन्द सिंह

स्व0 गोविन्द सिंह

- रघुनाथ सिंह पुत्र (फौत) → (अप्रार्थी 6–11 विधिक प्रति0)
- लक्ष्मण सिंह पुत्र (फौत) → (अप्रार्थी 12 ता 17)
- पदम सिंह (फौत पुत्र) → (अप्रार्थी 1/1 से 1/3)
- सुल्तान कंवर (पुत्री)
- हेम कंवर (पुत्री)
- गुड्डी कंवर (पुत्री)
- रानी कंवर (पुत्री)

2. यह कि स्वर्गीय गोविन्द सिंह जी की पैतृक संयुक्त अविभक्त कृषि आराजी वाके ग्राम नन्दगावड़ी तहसील मांगरोल में शामलाती खाता संख्या 56 किता कुल 45 कुल रकबा 57.88 है0, में हिस्सा 17/336 वाँ हिस्सा था जिस पर उपरोक्त सजरा अनुसार अप्रार्थीगण 1 ता 17 अपने पिता/दादा/ससुर के समय से ही अपने अपने हिस्सों पर काबिज काश्त होकर कृषि कर रहे हैं जो कि अप्रार्थीगण 1 ता 17 की पैतृक/पुश्तैनी सम्पत्ति है। अप्रार्थीगण के खाते पृथक-पृथक हिस्से में दर्ज हो रही है।

3. यह कि अप्रार्थीगण के पिता दादा ससुर शुरू से वाके ग्राम नन्दगावडी में रहते आये हैं तथा अप्रार्थीगण शादी विवाह होने से रोजी-रोटी रोजगार के कारण विभिन्न शहरों में आ गये और अपने-अपने हिस्सों पर काबिज होकर काश्त करते-कराते चले आ रहे हैं अप्रार्थीगण 6 ता 17 गोविन्द सिंह जी के स्वर्गीय पुत्रान के विधिक उत्तराधिकारी है जो स्थायी रूप से ग्राम नन्दगावड़ी में रह रहे हैं शेष अप्रार्थीगण भी तीज त्यौहार, उत्सवों,

Scanned by CamScanner

सामाजिक कार्यक्रमों में ग्राम नन्दगावडी में आते–जाते रहते एवं स्वर्गीय गोविन्द सिंह जी की रूपये–पैसों से इमदाद करते रहते थे क्योंकि गोविन्द सिंह जी शुरू से ही बीमार, लकवाग्रस्त, वृद्धावस्था एवं मेमोरी लॉस (स्मृति विस्मृत) मनोरोग से पीडित थे 150 किलो वजनी शरीर से चलने–फिरने एवं आंखो से लकवाग्रस्त थे बड़ी मुश्किल से देख पाते थे

4. गोविन्द सिंह जी एवं अप्रार्थीगण की पारिवारिक पृष्ठभूमि से परिचित होने से गोविन्द सिंह जी की रूग्णावस्था, मानसिक अवस्था, वृद्धावस्था का फायदा उठाकर कपट पूर्वक धोखे से गोविन्द सिंह जी को तहसील मांगरोल लाकर बिना उनके ज्ञान, बिना सहमति के फर्जी हस्ताक्षर करके अपने फर्जी गवाहानों के समक्ष दिनांक 04.06.2008 को बहक रूप कंवर एक रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र पंजीयन कमांक 523/2008 गोविन्द सिंह जी के हिस्सा भूमि का बिना किसी प्रतिफल/सहमति के धोखे से बदनीयती वश पंजीयन करा लिया जो कि मानसिक/शारीरिक रूग्णावस्था का फायदा उठाकर करा लिया और छुपा कर रख लिया तथा 12 वर्षो के पश्चात् राजस्व न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र के आधार पर खातेदारी की घोषणा कराना चाहती है।

5. यह कि अप्रार्थीगण 1 ता 17 रिकार्डेड खातेदार, काबिज काश्तकार है राजस्व वाद के सम्मन प्राप्त होने पर जानकारी में रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र आने पर रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 04.06.2008 बहक रूपकंवर को निम्न आधारों पर अपने हक व हिस्से तक शून्य एंव अकृत/निष्प्रभावी घोषित कराये जाने योग्य है :–

5 (1) – यह कि अप्रार्थीगण स्वर्गीय गोविन्द सिंह जी के पुत्र/पुत्री/पौत्र एवं विधिक वारिसान है तथा अप्रार्थीगण 1 ता 17 का वाके ग्राम नन्दगावडी खाता संख्या 56 कुल किता 57.88 हैक्टर एवं वादग्रस्त रजिस्टर्ड विकय–पत्र, की आराजी में जन्मजात हक व हिस्सा निहित है, तथा पीढ़ीदर पीढ़ी हस्तानान्तरित होकर स्व0 गोविन्द सिंह जी के पास वाद–ग्रस्त आराजी आयी थी और हिन्दू अविभक्त परिवार (HUF) कर्ता खानदान होने से उनके जीवन काल में खाते दर्ज थी एवं वादनी को भी भली भांति जानकारी थी कि पैतृक सम्पत्ति में स्वर्गीय गोविन्द सिंह जी का मात्र एक हिस्सा है, किसी संयुक्त परिवार कर्ता/मुखिया को उसके हमवारिस/सहदायिक को उसके पैतृक हक व हिस्सों से महरूम करने का अधिकार प्राप्त नहीं है अप्रार्थीगण का पैतृक सम्पत्ति में सजरानुसार भी 7/8 हिस्सा गोवन्दि सिंह जी के जीवनकाल में निहित था।

5 (2) यह कि पैतृक सम्पत्ति के स्वरूप को किसी भी कर्ता/हमवारिस को बदलने का अधिकार नहीं है एवं पैतृक सम्पत्ति में नोशनल पार्टिशन (ख्याली विभाजन) होकर "कॉमन टिनेन्टस इन शेयर" होता है जो कि हमवारिस/सहदायिक के जन्म से ही सुनिश्चित होकर HUF कर्ता/मुखिया को भी केवल अन्य सहदायिक के समान एक हिस्सा प्राप्त होता है और कर्ता होने के कारण अपने हक व हिस्से से अधिक का अन्तरण प्रारम्भ से ही शून्य होता है अस्तु रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र गोविन्द सिंह दिनांक 04.06.2008 प्रारम्भ से ही शून्य व अकृत किये जाने योग्य है।

5 (3) यह कि वादनी स्वर्गीय गोविन्द सिंह जी अप्रार्थीगण के पिता दादा की सगी भतीजी है। वैश्वासिक सम्बन्धी रिश्तेदार है। अप्रार्थीगण अक्सर विवाह होने एवं रोजगार के कारण अस्थायी रूप से बाहर निवास करते हैं। वर्ष 2001 से ही गोविन्द सिंह जी ग्राम नन्दगावड़ी विधवा पुत्र–वधुओं एवं बच्चों के साथ रहते थे जो कि 150 किलो वजनी शरीर और वृद्धवस्था रुग्णावस्था में लकवाग्रस्त मानसिक रोगी की अवस्था में रहते थे स्नान, शौच, लघुशंका दैनिक कार्य खाट बिस्तर पर ही करते थे तथा सोचने समझने की शक्ति खो चुके थे आखों की पुतलियाँ व भौंहे लकवाग्रस्त होने से देख नहीं पाते थे अन्तिम समय में बच्चों की तरह व्यवहार करने लग गये थे अस्तु दिनाक 04.06.2008 को कराया गया पंजीकृत विकय बहक रूपकंवर असक्षम व्यक्ति होने से काबिल खारिज/शून्य है।

5 (4) – यह कि उप पंजीयक अप्रार्थी क्रम 18 ने वादग्रस्त सम्पत्ति की जाँच किये बगैर, बिना विक्रय पत्र में पैतृक सम्पत्ति नहीं होने का कथन किये बगैर एवं हिस्सों की जॉच के सम्पत्ति अन्तरण अधि0 के विधिक प्रावधानों के विपरीत पंजीयन किया है बिना पूर्व से रहन का मोचन कराये असक्षम व्यक्ति का पंजीयन किया है। अस्तु रजिस्टर्ड विक्रय पत्र शून्य प्रभावी है।

5 (6) – यह कि प्रार्थीया को अप्रार्थीगण की पैतृक सम्पत्ति होने एवं बैंक के रहन होकर यदि रूपये पैसे लेने का ज्ञान/सहमति उनके जन्मजात हिस्से, कब्जा काश्त सभी की

Scanned by CamScanner

जानकारी थी एवं बिना किसी कब्जे व प्रतिफल के किया गया अन्तरण शून्यकरणीय है। गोविन्द सिंह जी विवाह पुत्र–बहुओं, नवजात बच्चों के पास रहते थे जिनकी लकवा–ग्रस्त अवस्था, मेमोरी लोस (स्मृति–विस्मृत) अवस्था, वृद्धावस्था कमजोर शरीर एवं रुग्णावस्था का सभी ग्राम वासियान रिश्तेदारान को पता है, स्वर्गीय गोविन्द सिंह जी स्पेशल पर्सन थे। मोटापे के कारण आंखो की पुतलियां व भौंहे तक लकवाग्रस्त थे जिन्हें अक्सर रस्सी से बांधकर उठाकर जीप में डालकर इलाज के लिए ले जाया जाता था, वादिनी ने धोखे से जीप में डालकर कपट से विक्रय–पत्र बहक रूपकंवर पंजीयन क्रमांक 523 / 2008 दिनांक 04.06.2008 का पंजीयन कराया गया है जो कि अप्रार्थीगण के पैतृक हक हिस्सों के सर्वथा विपरीत बिना ज्ञान, बिना सहमति, बिना प्रतिफल, बिना कब्जा हस्तान्तरण के काबिल खारिज व शून्य करणीय है।

6. यह कि प्रार्थीया द्वारा 12 वर्षों के पश्चात राजस्व वाद न्यायालय श्रीमान के यहां प्रस्तुत कर खातेदारी की घोषणा चाहने पर एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.06.2008 बहक रूपकंवर की जानकारी होने पर वादीगण द्वारा जरिये वकील विधिक रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 12.09.2020 प्रेषित कराने पर एवं वादीगण के हिस्से तक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को शून्य घोषित कराने मियाद नोटिस समाप्त होने पर भी नहीं कराने से न्यायालय श्रीमान के समक्ष जवाब प्रस्तुत करने का ही विकल्प शेष बचा है कि गोविन्द सिंह जी के हिस्से 17 / 336 वां में से विक्रय–पत्र बहक रूपकंवर पंजीयन क्रमांक 523 / 2008 दिनांक 04.06.2008 को अपने पैतृक हक व हिस्से 7 / 8 तक शून्य घोषित कराया जावे।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना–पत्र प्रार्थिया सव्यय खारिज फरमाया जावे। अन्य कोई न्यायोचित सहायता हो तो वादीगण को दिलवाई जावे।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील पक्षकारान द्वारा उन्हीं तथ्यों को दोहराया जो उनके द्वारा प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना में वर्णित किये गये हैं। प्रस्तुत पत्रावली में शामिल राजस्व रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। सम्पूर्ण पत्रावली का अध्ययन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र का निर्धारित करने के लिए न्यायालय को निम्न बिन्दुओं को देखना होता है।

01. प्रथम दृष्टया मामला 02. अपूर्णनीय क्षति 03. सुविधा का संतुलन

1. **प्रथम दृष्टया मामला :** प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा वाके ग्राम नंदगावडी तहसील मांगरोल में आराजीयात खसरा न. 129 रकबा 1.26 है0, खसरा न. 130 रकबा 1.23 है0, खसरा न. 131 रकबा 2.45 है0, खसरा न. 132 / 232 रकबा 1.25 है0, खसरा न. 147 रकबा 2.72 है0, खसरा न. 180 रकबा 0.67 है0, खसरा न. 185 रकबा 0.19 है0, खसरा न. 186 रकबा 0.22 है0, खसरा न. 188 रकबा 0.04 है0, खसरा न. 194 रकबा 0.05 है0, खसरा न. 195 रकबा 0.04 है0, खसरा न. 197 रकबा 0.02 है0, खसरा न. 2 रकबा 1.87 है0, खसरा न. 202 रकबा 0.26 है0, खसरा न. 203 रकबा 0.04 है0, खसरा न. 212 रकबा 0.12 है0, खसरा न. 213 रकबा 1.64 है0, खसरा न. 215 रकबा 1.83 है0, खसरा न. 216 रकबा 5.37 है0, खसरा न. 217 रकबा 0.16 है0, खसरा न. 218 रकबा 3.74 है0, खसरा न. 219 रकबा 1.72 है0, खसरा न. 223 रकबा 0.45 है0 कुल किता 45 रकबा 57.88 आराजी पर रहन–बेचान या हस्तान्तरण न करने हेतु अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा चाही है। खातेदार स्व0 गोविंद सिंह निवासी नंदगांवडी तहसील मांगरोल ने अपनी मृत्यु से कुल किता 45 रकबा 57. 88 हेक्टर आरजी में से अपने हिस्से 17 / 48 में 1 / 7 संपूर्ण खाते में 17 / 336 का 3 / 5 वां हिस्सा यानि सम्पूर्ण खाते का 51 / 1680 वां हिस्सा का रजि0 विक्रय पत्र 3,75,000 / — रूपये के बिन ऐवज दिनांक 04.06.2008 को प्रार्थीया के पक्ष में उक्त रकम प्राप्त करके उप पंजीयक महोदय मांगरोल के समक्ष निष्पादित करवाकर कब्जा प्रार्थीया को संभला दिया तब से प्रार्थीया काबिज काश्त चली आ रही है किन्तु स्व0 गोविंद सिंह जी की उक्त संपूर्ण आराजी उस समय बैंक के रहन रखी हुई थी इस

अंकिता सहरावत

Scanned by CamScanner

कारण आराजीयात के विक्रय पत्र का पंजीयन तो हो गया किंतु नियम 39 का नोट अंकित होने से खरिदशुदा आराजी प्रार्थीया के खाते दर्ज राजस्व रिकार्ड नही हो सकी। प्रार्थीया के विवादित आराजी में हक अधिकार का फैसला मूल वाद में तय किया जायेगा। अप्रार्थी कम 1 ता 17 विवादित आराजी को रहन–बेचान एवं प्रार्थीगण की काश्त व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करते हैं तो न केवल प्रार्थीया को अपने हिस्से की आराजी से वंचित होना पडेगा अपितु अनावश्यक वादकरण भी बढेगा। अनावश्यक वादकरण को रोकने को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीया के पक्ष में साबित होता है।

2. **अपूरणीय क्षति** : यदि अप्रार्थी कम 1 ता 17 द्वारा विवादित आराजी का रहन–बेचान या किसी प्रकार से हस्तान्तरण किया जाता है तो प्रार्थी को अपने हक अधिकारों से वंचित होना पडेगा। ऐसी स्थिति में अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीया के पक्ष में साबित होता है।

3. **सुविधा का संतुलन** : चूंकि प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं अपूरणीय क्षति का बिंदु प्रार्थीया के पक्ष में है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में साबित होता है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

अतः प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, बहस वकील पक्षकारान, संलग्न दस्तावेजों एवं राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी कम 1 ता 17 के विरूद्ध ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वाके ग्राम नंदगावडी तहसील मांगरोल में आराजीयात खसरा न. 129 रकबा 1.26 है0, खसरा न. 130 रकबा 1.23 है0, खसरा न. 131 रकबा 2.45 है0, खसरा न. 132/232 रकबा 1.25 है0, खसरा न. 147 रकबा 2.72 है0, खसरा न. 180 रकबा 0.67 है0, खसरा न. 185 रकबा 0.19 है0, खसरा न. 186 रकबा 0.22 है0, खसरा न. 188 रकबा 0.04 है0, खसरा न. 194 रकबा 0.05 है0, खसरा न. 195 रकबा 0.04 है0, खसरा न. 197 रकबा 0.02 है0, खसरा न. 2 रकबा 1.87 है0, खसरा न. 202 रकबा 0.26 है0, खसरा न. 203 रकबा 0.04 है0, खसरा न. 212 रकबा 0.12 है0, खसरा न. 213 रकबा 1.64 है0, खसरा न. 215 रकबा 1.83 है0, खसरा न. 216 रकबा 5.37 है0, खसरा न. 217 रकबा 0.16 है0, खसरा न. 218 रकबा 3.74 है0, खसरा न. 219 रकबा 1.72 है0, खसरा न. 223 रकबा 0.45 है0 कुल किता 45 रकबा 57.88 आराजी में प्रार्थीया को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान किए गए हिस्से अर्थात सम्पूर्ण खाते के 51/1680 वें हिस्से को रहन–बेचान न करे, मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील शामिल मूल वाद हो।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Scanned by CamScanner